

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन

इन्दौर 451001

दिनांक 8 FEB 2021

क.शैक्ष./पाठ्य/अधि./2020/598

// अधिसूचना //

एतद् द्वारा सर्व सम्बन्धितों को सूचित किया जाता है, कि दिनांक 15/01/2021 को सम्पन्न कार्य-परिषद की बैठक के निर्णयानुसार विधि पाठ्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे विद्यार्थी जिनको ए.टी.के.टी. या फेल इन एग्नीगेट है उन्हें एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी अर्थात् विद्यार्थी एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानांतरण चाहते हैं उनके सभी प्रश्नपत्र उत्तीर्ण होने चाहिये, ये अन्तरिती महाविद्यालय का दायित्व होगा कि प्रवेश लेने वाला विद्यार्थी पूर्व वर्ष से समस्त प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण हो।

इसके अतिरिक्त जो विद्यार्थी इस वर्ष प्रवेश ले चुके हैं और उपरोक्त प्रस्तावित मापदण्ड पूरे नहीं करते हैं, उन्हें इस वर्ष अन्तरिती महाविद्यालय में प्रवेश निरन्तर रखने की अनुमति होगी किन्तु यह इसी वर्ष के अपवाद माना जायेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क./पृष्ठां/शैक्ष./अधि./2020/598

इन्दौर, दिनांक 8 FEB 2021

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य/प्राचार्या समस्त, सम्बन्धित महाविद्यालय, दे.अ.वि.वि. इन्दौर।
2. विभागाध्यक्ष, आय.टी. सेन्टर की ओर इस निवेदन के साथ की वे इस अधिसूचना को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें
3. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।
4. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)
5. सम्बन्धित सहायक संकाय (परीक्षा/गोपनीय)
6. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद दे.अ.वि.वि. इन्दौर।
7. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण दे.अ.वि.वि. इन्दौर।

उप-कुलसचिव (शैक्ष.)